न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–194/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/194

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
फौजाराम गोदपुत्र श्री समीया, उम्र 72 वर्ष, जाति मेघवंशी, निवासी पावटा, तहसील आहोर जिला जालोर।		1. पोनी देवी पुत्री श्री समीयाजी पत्नि हंसाराम जाति मेघवंशी, निवासी पावटा, तहसील आहोर, हाल पुराने पोवर हाउस के पास, बागरा रोड, जालोर जिला जालोर। 2. सुमटि पुत्री समीयाजी पत्नि खीमाजी, जाति मेघवंशी, निवासी पावटा हाल पलासिया तहसील आहोर, जिला जालोर। 3. ग्राम पंचायत पावटा जरिये पदेन सचिव ग्राम पंचायत पावटा, पंचायत समिति आहोर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 20.04.2015 जो नामांतरकरण प्रकरण 02/2014 अनवान पोनीदेवी बनाम फौजिया मे तहसीलदार आहोर द्वारा पारित

उपस्थिति :–
1. श्री राजूराम हरियाल, श्री लाधुराम पुनिया, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री सुरेन्द्रकुमार दवे, श्री राधाकिशन चौधरी, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 21.12.2024

1. न्यायालय तहसीलदार आहोर के आदेश दिनांक 20.04.2015 जो राजस्व अपील संख्या 02/2014 अनवान पोनीदेवी बनाम फौजिया से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।
2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।
3. बहस वकुलाय सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

तहसीलदार आहोर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2015 न्याय, नियम व प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

तहसीलदार ने मामला रिमाण्ड होने के बाद अपीलार्थी को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

तहसीलदार ने प्रत्यर्थी संख्या 1 पोनीदेवी को भूमि के आधे हिस्से का नामांतकरण दर्ज करने का आदेश देने में भारी भूल की गयी है जबकि पोनी देवी खुद ने मृतक खातेदार समियाजी के तीन उतराधिकारी अपील मे बताये है जिसके अनुसार 1/3 हिस्से से अधिक भूमि पर उसका नामांतकरण दर्ज नही किया जा सकता है। इस कारण विद्वान तहसीलदार का अपीलाधीन आदेश न्याय नियम के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

अपीलार्थी ने तहसीलदार के समक्ष उसकी सुनवाई नही करने बाबत् एतराज करते हुए रिव्यू प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया उस रिव्यू प्रार्थनापत्र का आज दिन तक निर्णय नहीं किया। जबकि तहसीलदार को उक्त रिव्यू प्रार्थनापत्र पर निर्णय किये बिना अपने पूर्व आदेश की पालना कानूनी नही करवायी जा सकती है। इसकारण भी तहसीलदार की तमाम कार्यवाही न्याय नियम के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

प्रत्यर्थी संख्या 1 की प्रथम अपील विरासत के नामांतकरण संख्या 46 के पारित करने के 45 वर्ष से भी अधिक समय बाद प्रस्तुत की गयी थी, जिसको स्वीकार कर रिमाण्ड आदेश भी गलत पारित किया गया है जिसकी अलग से अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर दी हैं इस कारण भी रिमाण्ड आदेश के बाद तहसीलदार की कार्यवाही स्वतः ही शुन्य होकर निरस्तनीय है।

मौजा पावटा के ख०न० 54/1 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 54/2 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा समिया पुत्र गलिया की खातेदारी की थी. समिया का देहांत दिनांक 15.05.1965 को हो गया था, समिया के देहांत के बाद उपरोक्त भूमि जरिये विरासत के नामांतकरण संख्या 46 के अपीलार्थी फौजिया के नाम दर्ज की गयी।

आतारवित संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नामांतकरण संख्या 46 के पारित होने के 45 वर्ष से अधिक समय बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 पोनीदेवी ने अपील संख्या 3/2012 विद्वान उपखण्ड अधिकारी आहोर के न्यायालय में प्रस्तुत की एवं कथन किया कि मृतक खातेदारी समिया के तीन उतराधिकारी है जिसमे अपीलार्थी पोनीदेवी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 सुमटी दो जायंदा पुत्रिया तथा तीसरा प्रत्यर्थी संख्या 1 फौजिया गोदपुत्र है। परन्तु समिया के विरासत के नामांतकरण मे पुत्री पोनीदेवी एवं सुमटी का नाम दर्ज नही करके अकेले फोजिया के नाम दर्ज कर दिया, जो नामांतकरण विधि विरूद्ध है जिसको निरस्त किया जावे तथा समिया के सभी उतराधिकारियो के नाम नामांतकरण दर्ज किया जावे।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20.04.2015 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 की प्रथम अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 46 को निरस्त कर मामला तहसीलदार आहोर को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश दे दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने उसकी अलग से अपील प्रस्तुत की है।

मामला प्रतिप्रेषित होने के बाद तहसीलदार आहोर ने अपीलार्थी को सुनवाई सूचना का अवसर दिये बिना एकतरफा में अपने आदेश दिनांक 20.04.2015 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 पोनीदेवी को 1/2 हिस्से पर खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी ने दिनांक 25.08.2015 को एक रिव्यू प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसका आज दिन तक कोई निर्णय नहीं किया है तथा उक्त रिव्यू का निर्णय किये बिना अपने पूर्व के आदेश दिनांक 20.04.2015 की पालना करवाने की कार्यवाही की जाने लगी, जबकि रिव्यू प्रार्थनापत्र का निर्णय किये बिना अपीलाधीन आदेश की पालना नहीं करवायी जा सकती है। इन परिस्थितियो मे अपीलार्थी विद्वान तहसीलदार के आदेश दिनांक 20.04.2015 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनाक 20.04.2015 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा नामांतरकण संख्या 46 ग्राम पावटा को बहाल किये जाने का आदेश फरमावे, अन्य उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्यायहित में पारित किया जाना आवश्यक समझे तथा जो अपीलार्थी के पक्ष में हो सादिर फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

रेस्पोडेण्ट के पिता स्व. समीया पुत्र गलीया की खातेदारी आराजी मौजा पावटा के गत् ख.स. 54/1 रकबा 19 बीधा 12 बीस्या, ख.सं. 54/2 रकबा 3 बीघा 16 बीस्वा थी । स्व समीयाजी के जायज वारीसानो में यह भी मौजूद है तथा वह अपने हिस्से में आई हुई पैतृक आराजी के अनुसार आज भी काबिज काश्त है तथा समीयाजी की मृत्यु उपरान्त जो नामान्तरणकरण ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरणकरण स्वीकार करते समय स्व. समीयाजी के समस्त वारीसान की विधिवत् जांच नहीं की एवं ना ही उनकी सुनवाई का अवसर देने हेतु किसी भी प्रकार का नोटिस जारी किया तथा उसके पिता समीयाजी ने अपने जीवनकाल में फौजीया को गोद नहीं लिया है एवं ना ही समीयाजी का कोई पुत्र था

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

इसको साबित करने के लिये पोनी देवी ने फौजीया के माध्यमिक परीक्षा 1969 का प्रमाण पत्र फौजीया की पुत्री विमला की शादी की आमत्रंण पत्रिका एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का कार्यालय आदेश प्रस्तुत किया जिसमें फौजीया के पिता का नाम खीमाराम दर्ज है एवं उसके गोद पिता समीयाजी कही पर भी उल्लेख नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 सुमटी द्वार अपने हिस्से में आई अपने पिता की पैतृक आराजी में से अपने हिस्से का हकतर्कतनामा दिनांक 09.07.2013 को उप पंजीयक कार्यालय आहोर में फौजीया के पक्ष में निष्पादित कर दिया है।

फौजीया स्व समीया का गोदपुत्र नही है । अगर फौजीया स्व समीया के गोद जाता तो यह अपनी पुत्री की शादी की आमन्त्रण पत्रिका में अपने पिता के नाम खीमाराम की बजाय समीया लिखवाता । इसलिए तहसीलदार, आहोर ने प्रकरण से सम्बन्धित खातेदारी अराजी में स्व. समीया की मृत्यु उपरान्त उनके विधिक बारीसान होने के नाते पोनी देवी एवं फौजीया ही मात्र उत्तराधिकारी है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित को यथावत रखने का निवेदन किया है।

7. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। एवं पत्रावली का बगोर अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि उपखण्ड अधिकारी, आहोर द्वारा दिनांक 28.3.2014 को पारित निर्णय अनुसार मृतक समीया की विरासत ना.करण संख्या 46 को निरस्त कर तहसीलदार आहोर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि स्व. समिया की जायज वारिसान बाबत जांच कर हकतर्कनामा एवं भूमि रहन होने बाबत तथ्यो को भी रेकर्ड पर लेते हुए वारिसान के नाम नातान्तरणकरण के निस्तारण की कार्यवाही की जावे। उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 20.4.2015 को पारित आदेशानुसार "विधिक वारीसान पोनीदेवी पुत्री समीयाजी एवं फौजीया गोद पुत्र समीया का नाम नये सिरे नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाता है"।

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि मृतक समीया के 3 वारीस फौजीया,पोनीदेवी, एवं सुमटी है। एवं सुमटी द्वारा अपने हिस्से का हकतर्क फौजीया के पक्ष में निष्पादित करवाने का तथ्य अंकित किया गया है। यदि यह तथ्य सही है तो अपीलाण्ट फौजीया का 2/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेण्ट पोनी का 1/3 हिस्सा होना प्रकट होता है। परन्तु तहसीलदार द्वारा इस बिन्दु पर समुचित विचार नही किया गया है। इस पर विस्तृत जांच कर तहसीलदार द्वारा पुनः नामान्तरण की कार्यवाही करना आवश्यक है।

8. प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आहोर द्वारा प्रा.पत्र पर उक्त खसरान में दस्तावेज का अवलोकन किये बिना एवं मौके पर तहसीलदार रिपोर्ट हेतु समस्त खातेदारान को नोटिस दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट को ध्यान पूर्वक नही सुना गया है। अपीलाण्ट को इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार सुना जाना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आहोर के प्रकरण संख्या 02/2014 दिनांक 20.04.2015 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार, आहोर को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलाण्ट्स को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करै। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

24.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

24.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner